कार्यालय वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला - कोरबा (छ.ग.)
Phone/Fax No.: 07815-250157, mail : dfo-katghora.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./2022/ 2524   कटघोरा, दिनांक 16.06.2022
प्रति,

परियोजना निदेशक प.का.ई.
प्लाट नं. 1940/1941, आर.पी.नगर फेस – I
दशहरा मैदान, निहारिका, कोरबा (छ.ग.)

संशोधित

विषय : Diversion of 83.6241 ha. of forest land in favour of NHAI, Bilaspur for Rehabilitation and Upgrading to 4-Lane with Paved Shoulder Configuratuin of Bilaspur Katghora Section of NH -111 in Bilaspur District in the State of Chhattisgarh- regarding.

संदर्भ :
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) रायपुर का पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/115 770/1212 दिनांक 30.05.2022
2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर का पत्र क्र./तक.अधि./4151 दिनांक 09.06.2022
3. कार्यालयीन पत्र क्र./तक.अधि./2022/1348 दिनांक 24.03.2022

––– ::000:: –––

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एन.एच. 111 (नया –130) पथरपाली से कटघोरा मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अंतर की राशि निम्नानुसार ई–चालान जनरेट कर कैम्पा फंड में RTGS के माध्यम से राशि जमा कर पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

शर्त क्र. ii एवं iii के पालन हेतु क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि निम्नानुसार Ad-hoc Campa में जमा करें।

क्र	विवरण	अद्यतन दर वर्ष 2022–23 अनुसार राशि (सिंचित)	पूर्व में जमा	अंतर की राशि
1	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण	83.6241 X 2 X 878787= 14,69,75,544	12,14,67,350/-	2,55,08,194/-
		कुल योग :–		**2,55,08,194/-**

उपरोक्त राशि **2,55,08,194/-** (दो करोड़ पचपन लाख आठ हजार एक सौ चौरान्बे रूपये) का ई–चालान जनरेट कर कैम्पा फंड में RTGS के माध्यम से राशि जमा कर पावती इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही किया जा सके।

संलग्नः संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमंडल कटघोरा

क्रमांक/तक.अधि./2020/ 2525   कटघोरा, दिनांक 16.06.2022
प्रतिलिपि,

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) अरण्य भवन, सेक्टर –19 अटल नगर रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

DGM(T)
B.H.

National Highways Authority of India
Inward No. 3574.
Date 20.06.2022
PIU Korba (C.G.)

वनमंडलाधिकारी
कटघोरा वनमंडल कटघोरा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू–प्रबंध/कैम्पा/115–25/1049 रायपुर, दिनांक 19/05/2021

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
2. समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
   छत्तीसगढ़

विषयः – क्षतिपूर्ति रोपण हेतु दरों का वर्ष 2021–22 में पुनरीक्षण।
संदर्भः 1. छ.ग. शासन, वन विभाग का पत्र कमांक/1626/2002 दिनांक 19.03.2002
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/ कैम्पा/एल.एम–25/ 996 दिनांक 26.05.2020

※ ※ ※ ※ ※

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु गत वर्ष की असिंचित दर रू. 2,06,591/– एव सिंचित रू. 7,26,270/– में 10 प्रतिशत वृद्धि करते हुए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए असिंचित वृक्षारोपण के लिये रूपये 2,49,975/– प्रति हेक्टेयर एवं सिंचित वृक्षारोपण के लिये रूपये 7,98,897/– प्रति हेक्टेयर दर निर्धारित की जाती है।

1. तदानुसार वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार करने एवं पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए 10 वर्षीय सिंचित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि रूपये 7,98,897/– प्रति हेक्टेयर की दर से प्रस्ताव तैयार करना एवं राशि वसूल किया जाना सुनिश्चित करें। रोपण हेतु स्थानीय प्रजातियाँ एवं आस्था मूलक कार्यो का प्रावधान परियोजना में किया जावे।

2. असिंचित दर केवल उन्ही पुराने प्रकरणों हेतु है जिनमें पूर्व में प्रस्ताव असिंचित दर से तैयार हुए है तथा प्रस्ताव प्रस्तुत हो कर भारत सरकार को जा चुके है।

शेष निर्देश पूर्ववत रहेंगे।

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/कैम्पा/ 115–25/1049 रायपुर, दिनांक 19/05/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
– मुख्य कार्यपालन अधिकारी (कैम्पा), छत्तीसगढ़, रायपुर।
– समस्त शाखा प्रभारी, भू–प्रबंध प्रभाग को पालनार्थ।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़, रायपुर

e154-Lakar Vrnidh 2021 (1)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, मेडिकल कॉलेज रोड, रायपुर
(मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)
दूरभाषः 0771 – 2552233
ई – मेलः ccflm_cg@yahoo.com

क्र0/भू–प्रबंध/कैम्पा/एल.एम–25/1361

रायपुर, दिनांक 20/08/2013

प्रति,

तत्काल

– समस्त वन संरक्षक
– समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

विषयः – **क्षतिपूर्ति रोपण हेतु दरों का पुनरीक्षण**

संदर्भः 1 छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ 1626 दिनांक 19.03.2002
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/ 2952 दिनांक 09.11.2005
3. राज्य कैम्पा, अंकेक्षण समीक्षा का पत्र क्रमांक/ 19 दिनांक 12.06.2013

※ ※ ※ ※ ※

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र – 1 के शासन आदेश द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु वर्ष 2001–2002 में असिंचित वृक्षारोपण के लिये रूपये 29,725/– प्रति हेक्टेयर एवं सिंचित वृक्षारोपण के लिये राशि रूपये 1,04,500/– प्रति हेक्टेयर दर निर्धारित की गयी थी। साथ ही इस दर में आकस्मिक व्यय 10 प्रतिशत, आस्था मूलक कार्यो (Entry Point Activities) हेतु 10 प्रतिशत तथा अनुसंधान व विकास हेतु 5 प्रतिशत; कुल 25 प्रतिशत राशि अतिरिक्त ली जानी थी। उपरोक्त स्वीकृत दर पर प्रतिवर्ष गणतूली वृद्धि हेतु 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाने के निर्देश थे। पत्र की शर्त क्रमांक 2, 3 एवं 4 अनुसार वर्ष 2002–03 के लिए 10 प्रतिशत वृद्धि कर असिंचित एवं सिंचित वृक्षारोपण के लिये दर निर्धारित किया जाना था परन्तु त्रुटि से वर्ष 2002–03 के वैकल्पिक वृक्षारोपण (असिंचित एवं सिंचित) हेतु दर बिना 10 प्रतिशत वृद्धि के निर्धारित की गयी थी।

संदर्भित अंकेक्षण आपत्ति अनुसार उक्त दर निर्धारण में 10 प्रतिशत कम राशि वसूली की त्रुटि प्रकाश में आयी है। कैम्पा योजना को आडिट द्वारा अंकेक्षण अनुसार उक्त त्रुटि के कारण वर्ष 2002–03 से 2012–13 तक 18 वन मंडलों में 55 व्यपवर्तन प्रकरणों में 5195.661 हेक्टेयर वन क्षेत्र के व्यपवर्तन में आवेदक संस्थानों से वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु 10 प्रतिशत कम वसूली हुई है।

आप आडिट आपत्ति के संदर्भ में 2002–03 से अब तक स्वीकृत समस्त प्रकरणों में आवेदक संस्थानों से संलग्न तालिका में दर्शाई दर अनुसार राशि वसूली हेतु डिमांड नोट तत्काल जारी करें एवं वसूली एक माह में सुनिश्चित करें। जो वर्तमान में नए प्रकरण तैयार होंगे उसमें इस वर्ष की दर अनुसार परियोजना तैयार करें।

इस पत्र की अभिस्वीकृति दी जावे।

(प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुमोदित)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(सुदित कुमार सिंह)
मुख्य वन संरक्षक (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़,

पृ. क्र0/भू–प्रबंध/कैम्पा/ एम. एम–25/1362

रायपुर, दिनांक 20/08/2013

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

– प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर।
– अ.प्र.मु.व.स (कैम्पा), छत्तीसगढ़।

संलग्नः – उपरोक्तानुसार

मुख्य वन संरक्षक (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़,

सिंचित एवं असिंचित वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रति हे. दर का पुर्ननिर्धारण गणना पत्रक

(पत्र क्रमांक / 11/ भू–प्रबंध/ 2952 दिनांक 09.11.2005 के संदर्भ में संशोधन)

वर्ष	असिंचित रोपण हेतु			सिंचित रोपण हेतु		
	रोपण की दर (रु) (10% प्रतिवर्ष inflation हेतु वृद्धि)	आकस्मिक व्यय, आस्थामूलक कार्य एवं अनुसंधान एवं विकास हेतु कुल 25 प्रतिशत राशि	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल दर (रु)	रोपण की दर (रु) (10% प्रतिवर्ष inflation हेतु वृद्धि)	आकस्मिक व्यय, आस्थामूलक कार्य एवं अनुसंधान एवं विकास हेतु कुल 25 प्रतिशत राशि	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु कुल दर (रु)
2001–02	29725	7431	37156	104500	26125	130625
2002–03	32698	8175	40873	114950	28738	143688
2003–04	35968	8992	44960	126445	31611	158056
2004–05	39565	9891	49456	139090	34773	173863
2005–06	43522	10881	54403	152999	38250	191249
2006–07	47874	11969	59843	168299	42075	210374
2007–08	52661	13165	65826	185129	46282	231411
2008–09	57927	14482	72409	203642	50911	254553
2009–10	63720	15930	79650	224006	56002	280008
2010–11	70092	17523	87615	246407	61602	308009
2011–12	77101	19275	96376	271048	67762	338810
2012–13	84811	21203	106014	298153	74538	372691
2013–14	93292	23323	116615	327968	81992	409960
2014			128277			450956
2015			1,41,105			496052

हस्ताक्षर/-

मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/ व.स.अ)

छत्तीसगढ़, रायपुर